

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/2017/

दिनांक:

--:आदेश--

निम्नलिखित कार्मिकों को निम्न शर्तों के अध्याधीन पीएचडी (नर्सिंग/फार्मसी) करने की अनुमति प्रदान की जाती है (सत्र 2016-2017)-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	जिस परीक्षा में सम्मिलित होने/साक्षात्कार की अनुमति चाही है।
1.	श्रीमती पूनम महेन्द्रा, फार्मासिस्ट	हरिबक्श कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर	सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, जगतपुरा से फार्मसी में पीएचडी 2017 करने बाबत।
2.	नरेन्द्र कुमार, नर्सिंग ट्यूटर	राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एस.पी.एम.सी., बीकानेर	टाटिया यूनिवर्सिटी, श्रीगंगानगर से पीएचडी (नर्सिंग) करने बाबत।
3.	डिम्पल, नर्सिंग ट्यूटर	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर	टाटिया यूनिवर्सिटी, श्रीगंगानगर से पीएचडी (नर्सिंग) करने बाबत।

- राज्य कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
- पीएचडी करने के पश्चात् कार्मिक किसी भी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ की मांग नहीं करेगा।
- नियमानुसार केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।
- परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- राज्य हिट में यह स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

sd -

(राकेश शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर  
दिनांक: 31-07-2017

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-1/2017/398

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संबंधित समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
- संबंधित समस्त प्रधानाचार्य।
- विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
- संबंधित समस्त अधीक्षक।
- संबंधित समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- संबंधित समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सॉफ्ट रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर